कलकत्ता उच्च न्यायालय (अधिकारिता सीमा) अधिनियम, 1919

(1919 का अधिनियम संख्यांक 15)

[17 सितम्बर, 1919]

बंगाल में फोर्ट विलियम स्थित उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की सीमाओं को घोषित और विहित करने के लिए अधिनियम

यत: बंगाल में फोर्ट विलियम स्थित उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेन्ट, तारीख 28 दिसम्बर, 1886 का खंड 11 यह उपबन्ध करता है कि उक्त उच्च न्यायालय को, ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर, जो भारत के लिए सक्षम विधायी प्राधिकारी द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा समय-समय पर घोषित और विहित की जाएं, मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता प्राप्त होगी और वह उसका प्रयोग करेगा ;

और यत: उक्त उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को इस प्रकार घोषित और विहित करना समीचीन है ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कलकत्ता उच्च न्यायालय (अधिकारिता सीमा) अधिनियम, 1919 है ।

2. मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की सीमाएं—बंगाल में फोर्ट विलियम स्थित उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग उन सीमाओं के भीतर किया जाएगा जो अनुसूची में दी गई हैं :

परन्तु इस अधिनियम की कोई भी बात ऐसे किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को किसी न्यायालय में विचाराधीन है ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. वे सीमाएं, जिनके भीतर उच्च न्यायालय की मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग किया जाएगा, निम्नलिखित हैं :—

उत्तर—हुगली नदी के पश्चिम की तरफ ऐसे बिन्दु से प्रारम्भ होने वाली रेखा जहां निर्देश स्तम्भ सं० 1 (जो घुसरी काटन मिल, हावड़ा के नदी वाली तरफ के एक अहाते में है) और निर्देश स्तम्भ सं० 2 (जो चितपुर टोल पुल के दक्षिण-पश्चिमी सिरे के निकट है) को मिलाने वाली सीधी रेखा हुगली नदी की पश्चिमी जल-रेखा से मिलती है, और वहां से उक्त रेखा के साथ-साथ उस बिन्दु तक, जहां वह सरकुलर नहर के मुहाने के दक्षिणी किनारे के निकट हुगली नदी की पूर्वी जल-रेखा से मिलती है, वहां से सरकुलर नहर के दक्षिणी-किनारे की जल रेखा के साथ-साथ, जो चितपुर टोल पुल चितपुर या बाघबाजार के पुल के नीचे से होती हुई, बैरकपुर पुल के दक्षिणी खंभे की पूर्वी तरफ सीमा स्तम्भ क तक जाती है ।

पूर्व—उक्त सीमा स्तम्भ क से प्रारम्भ होने वाली वह रेखा, जो पुल की सीढ़ियों के पूर्वी किनारे के साथ-साथ होती हुई उस बिन्दु तक जाती है, जो सीमा पर स्थित निर्देश स्तम्भ 3 से अंकित पुल के निकटतम पंहुच मार्ग के दक्षिण-पूर्वी कोने के निकट है; वहां से सीधी रेखा में कार्नवालिस स्ट्रीट और गैलिफ स्ट्रीट (जो अब लोक निर्माण विभाग के पत्थर से चिह्नित है) के संगम के दक्षिण-पूर्वी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ ख तक; वहां से पूर्व की तरफ और खंभों 1-3 से अंकित बिन्दुओं को जोड़ने वाली कई नियमित कड़ियों में कार्नवालिस स्ट्रीट की पूर्वी पगडंडी के पूर्व की तरफ सीमा स्तम्भ ग तक जो शाम बाजार स्ट्रीट और कार्नवालिस स्ट्रीट के संगम के उत्तरी कोने पर स्थित है ; वहां से सीधी रेखा में उक्त संगम के ठोस दक्षिणी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ घ तक; वहां से अपर सरकुलर रोड की ठोस पूर्वी तरफ के साथ-साथ जो खंभों 4-9 से अंकित है लगभग सीधी रेखा में; वहां से पूर्व की ओर कोने की गोलाई के साथ-साथ बिना नाम वाली सड़क (जो जदुनाथ मित्रा लेन में जाकर मिलती है) और अपर सरकुलर रोड के संगम के उत्तरी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ ङ तक; और वहां से सीधी रेखा में जदुनाथ मित्रा लेन और अपर सरकुलर रोड के संगम के ठोस दक्षिणी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ च तक; वहां से खंभों 10-13 से होते हुए उल्टाडिंगी रोड और अपर सरकुलर रोड के संगम के ठोस दक्षिणी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ छ तक; वहां से उल्टाडिंगी रोड की ठोस दक्षिणी तरफ के साथ-साथ खंभों 14-16 से अंकित बिन्दुओं को मिलाने वाली और बराबर चलती चली गई तथा लगभग सीधी रेखा माला में उल्टाडिंगी रोड और गौरीबैरी लेन के संगम के ठोस पश्चिमी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ ज तक; वहां से खंभों 17-21 से अंकित गौरीबैरी

लेन के ठोस पश्चिमी तरफ के साथ-साथ; वहां से सड़क को विकर्ण काटती हुई सीधी रेखा में, गौरीबैरी लेन और उल्टाडिंगी जंकशन लेन के संगम के ठोस दक्षिण-पूर्वी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ झ तक ; वहां से खंभों 22-24 से अंकित उल्टाडिंगी जंकशन लेन की ठोस पूर्वी तरफ के साथ-साथ उल्टाडिंगी जंकशन लेन और हलसीबागान रोड के संगम के ठोस पूर्वी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ ञ तक; वहां से सीधी रेखा में, उक्त संगम के ठोस पश्चिमी कोने पर खंभा 25 तक; वहां से खंभा 26 से अंकित हलसीबागान रोड की ठोस उत्तरी तरफ के साथ-साथ, हलसीबागान रोड के उत्तरी तरफ उसके दक्षिण स्थित अपर सरकुलर रोड की ठोस पूर्वी तरफ के ठीक सामने, सीमा स्तम्भ-ट तक; वहां से सीधी रेखा में अपर सरकुलर रोड के सथ हलसीबागान रोड के संगम के ठोस दक्षिणी कोने पर खंभा 27 तक; वहां से खंभों 28-34 से अंकित अपर सरकुलर रोड की ठोस पूर्वी तरफ से होते हुए खंभा 35 तक; वहां से पूर्व की ओर मुड़कर मानिकतला रोड की उत्तरी तरफ स्थित सीमा स्तम्भ ख तक ; वहां से सीधी रेखा में, खंभा 36 तक, जो मानिकतला रोड और अपर सरकुलर रोड के संगम के दक्षिण कोने पर, कालीपद पारिक उद्यान के उत्तर-पश्चिमी कोने पर स्थित है; वहां से उत्थित प्लेटफार्म रोड की पूर्वी तरफ की गली की पूर्वी तरफ के, जो खंभों 37-49 से अंकित है, साथ-साथ गैस स्ट्रीट और अपर सरकुलर रोड़ के संगम के ठोस उत्तरी कोने पर स्थित स्तम्भ ड तक; वहां से एक सीधी रेखा में, उक्त जंकशन के ठोस दक्षिणी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ ढ तक; वहां से फिर उत्थित प्लेटफार्म रोड की पूर्वी तरफ की गली की पूर्वी तरफ उस रेखा के साथ-साथ रहते हुए, जो खम्भों 50-61 से अंकित है (हाल ही में बने लेडीज पार्क को छोड़कर), उत्तरी स्टेशन सियालदह के उत्तरी प्रवेश मार्ग के उत्तरी खंभे के निकट सीमा स्तम्भ ण तक; वहां से सीधी रेखा में उस प्रवेश द्वार के दक्षिणी कोने पर सीमा स्तम्भ त तक; वहां से सीमा स्तम्भों त, थ, द, ध, और न, जो सियालदह स्टेशन के विभिन्न पंहुचमार्गों के कोनों वाले स्तम्भों से लगे हुए हैं, को मिलाने वाली एक स्तम्भ से दूसरे स्तम्भ को जाने वाली अपेक्षाकृत सीधी रेखाओं में; वहां से खंभों 62-64 से अंकित लोअर सरकुलर रोड़ की ठोस पूर्वी तरफ के साथ-साथ स्तम्भ 65 तक वहां से पश्चिम की ओर मुड़कर कैम्पबेल अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग के उत्तर-पश्चिमी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ प तक; वहां से खंभों 66-68 से अंकित सीधी रेखा में, कलकत्ता कारपोरेशन सेंट्रल स्टोर्स के उत्तरी प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर के प्लेटफार्म के कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ फ तक; वहां से खंभा 69 से पूर्व की ओर मुड़कर खम्भा 70 तक; वहां से खंभों 71-76 से होते हुए, पुलिस अस्पताल रोड और लोअर सरकुलर रोड़ के दक्षिणी संगम के ठोस कोनों पर स्थित सीमा स्तम्भ ब और भ तक ; वहां से खंभों 77-80 से होते हुए, बिनियापुकुर लेन और लोअर सरकुलर रोड के संगम के ठोस कोनों पर स्थित सीमा स्तम्भ म और य तक; खंभों 81-86 से होते हुए, नोनापुकुर या बिजली रोड और लोअर सरकुलर रोड के संगम के ठोस कोनों पर स्थित सीमा स्तम्भ-क-1 और ख-1 तक, खंभों 87-88 से होते हुए सरकुलर रोड शमशान भूमि के दक्षिणी-पश्चिमी कोने के निकट स्थित सीमा स्तम्भ ग-1 तक; वहां से सीधी रेखा में ट्रामवे लाइनों की दूसरी ओर स्थित सीमा स्तम्भ घ-1 तक ; वहां से खंभा 89 से पूर्व की ओर खंभा 90 तक; वहां से कराया बाजार रोड और लोअर सरकुलर रोड के संगम के ठोस कोनों पर स्थित सीमा स्तम्भ ङ-1 और च-1 तक; खंभों 91-92 से होते हुए थियेटर रोड़ के सामने सीमा स्तंभ छ-1 तक; खंभों 93, 94 से होते हुए सीमा स्तम्भ ज-1 तक जो आकलैंड प्लेस और लोअर सरकुलर रोड के संगम के ठीक सामने के बिन्दु के कुछ ही फीट के दक्षिण में है और खंभों 95 और 96 से होते हुए सड़क के मोड़ में होकर निर्देश स्तम्भ 4 तक (जो सीमा पर है) जो बैंक बागान लेन और सरकुलर रोड़ के संगम के पूर्वी तरफ है ।

दक्षिण—उक्त निर्देश स्तम्भ 4 से आरम्भ होने वाली सीधी रेखा सीमा स्तम्भ झ-1 तक जो बैंक बागान लेन और लोअर सरकुलर रोड के संगम के पश्चिमी कोने पर है ; वहां से लोअर सरकुलर रोड के ठोस दक्षिण तरफ होते हुए, बालीगंज सरकुलर रोड और लोअर सरकुलर रोड के संगम के ठोस कोनों पर स्थित सीमा स्तम्भ ञ-1 और ट-1 तक; वहां से खंभों 97, 98 से अंकित लोअर सरकुलर रोड की ठोस दक्षिणी तरफ से होते हुए सीमा स्तम्भ ठ-1 और ड-1, जो लैंस डाउन रोड और लोअर सरकुलर रोड के संगम के ठोस कोनों पर है, खंभे 99, दक्षिण की ओर के खंभे 100, पश्चिम की ओर के खंभे 101, उत्तर की ओर के खंभे 102 और पश्चिमी की ओर के खंभे 103, सीमा स्तम्भ ढ-1 और ण-1, जो वुडबर्न रोड और लोअर सरकुलर रोड के संगम के ठोस कोनों पर है ;

खंभे 104-105, सीमा स्तम्भ त-1 और थ-1 तक जो ली रोड और लोअर सरकुलर रोड के संगम के ठोस कोनों पर है, वहां से सीधी रेखा में उस टूटी हुई सीमा रेखा को जोड़ती है जो खंभों 106-113 से बनी है और सीमा स्तम्भ द-1 तक जाती है जो चौरंगी और लोअर सरकुलर रोड के संगम के दक्षिण पूर्वी कोने पर है ; वहां से तिर्यक् सीधी रेखा में उक्त संगम के दक्षिण-पश्चिमी कोने पर (एफ० डब्ल्यू० बी०-26 अंकित पत्थर के पास) स्थित सीमा स्तम्भ ध-1 तक; वहां से सरकुलर रोड के दक्षिण में स्थित धृतियों की वर्तमान सीमाओं की, जो खंभों 114-116, हरीशचंद्र मुकर्जी रोड और लोअर सरकुलर रोड के संगम के ठोस कोनों पर स्थित सीमा स्तम्भ न-1 और प-1 और खंभों 117-121 से अंकित है, सूचक रेखा में, वहां से भवानीपुर रोड और लोअर सरकुलर रोड के संगम के उत्तरी कोने के निकट सीमा स्तम्भ फ-1 तक; वहां से कोने के मोड़ और भवानीपुर रोड के पूर्वी तरफ और उससे संलग्न अधिशिष्ट भूमि से होते हुए खंभों 122-124 और शंभुनाथ पंडित स्ट्रीट और भवानीपुर रोड के संगम पर स्थित सीमा स्तम्भ ब-1 और भ-1 बिन्दुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा की श्रृंखला में खंभों 125-128, पूर्व की ओर मुड़कर शंकरीपारा रोड के उत्तर की तरफ सीमा स्तम्भ म-1, खंभों 129-130 से सीमा स्तम्भ य-1 और क-2 तक जहां क्षत्रपति रोड़ भवानीपुर रोड में मिलती है उसके पार; वहां से खंभों 131-132 से होते हुए अलीपुर पुल की उत्तर-पूर्वी तरफ सीमा स्तम्भ ख-2 तक; वहां से उक्त सीमा स्तम्भ ख-2 को उक्त पुल के दक्षिण-पूर्व स्थित सहायक निर्देश स्तम्भ 7 को मिलाने वाली सीधी रेखा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जहां वह सीधी रेखा टोली नाले की जल-रेखा से मिलती है; वहां से टोली नाले की जल-रेखा के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट अहाते के उत्तर पूर्वी कोने तक जिसके निकट सीमा स्तम्भ ग-2 है वहां से मजिस्ट्रेट अहाते के खंभों 133-141 से अंकित अनियमित उत्तरी सीमा के साथ-साथ ठैकरे रोड से सिविल सर्जन के मकान के प्रवेश द्वार के दक्षिणी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ घ-2 तक; वहां से दक्षिण की ओर मजिस्ट्रेट अहाते के खंभों 142-145 से अंकित पश्चिमी सीमा के साथ-साथ और उस अहाते की खंभों 147-148 से अंकित

दक्षिणी सीमा के साथ-साथ टोली नाले के किनारे पर सीमा स्तम्भ ङ-2 तक; वहां से खंभे 148 से सीधी रेखा में चलते हुए सीमा स्तम्भ ङ-2 तक जब तक कि वह टोली नाले की जल-रेखा से न मिल जाए; वहां से टोली नाले की जल-रेखा के साथ-साथ उस बिन्दु तक जो जेल उद्यान के बाहर जाने वाली पक्की नाली की उत्तरी तरफ के साथ सीधी रेखा में है और जिसके पास सीमा स्तम्भ च-2 है ; वहां से उक्त नाली की उत्तरी तरफ के साथ-साथ सीधी रेखा में मोती झील के पार खंभे 149 तक जो मजिस्ट्रेट न्यायालय के अहाते की सीमा के सामने है ; वहां से उत्तर की ओर उस सीमा के साथ-साथ खम्भा 150 तक और पश्चिम की ओर खंभा 151 तक और फिर उत्तर की ओर आर्मी क्लोदिंग एजेन्सी की सीमा के साथ-साथ खम्भा 152 तक; वहां से पश्चिम की ओर गली की दक्षिणी तरफ पुलिस अस्पताल के अहाते के उत्तर-पश्चिमी कोने पर स्थित सीमा स्तम्भ छ-2 तक ; वहां से बेलवीडियर रोड के सामने अलीपुर सेन्ट्रल जेल के स्तम्भों 153-157 से अंकित दीवार के साथ-साथ बेलविडियर रोड और जेल लेन के संगम के उत्तर-पश्चिमी कोने तक, फिर पूर्व की ओर ऐसे कोने के साथ-साथ खंभा 158 तक और जेल लेन के दक्षिण की तरफ जाते हुए खंभा 159 तक; वहां से सीधी रेखा में सीमा स्तम्भ ज-2 तक जो; रिफारमेटरी स्ट्रीट और जेल लेन के संगम के तीक्ष्ण कोने पर है; वहां से अलीपुर पुल के उत्तर-पश्चिम की तरफ सीमा स्तम्भ झ-2 तक; वहां से उक्त पुल के उत्तर-पूर्व की तरफ सीमा स्तम्भ ञ-2 तक; वहां से भवानीपुर रोड के खंभों 160-167 से अंकित ठोस दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम की तरफ; वहां से भवानीपुर रोड और लोअर सरकुलर रोड के संगम के पश्चिमी कोने से होते हुए, सीमा स्तम्भ ट-2 तक; वहां से लोअर सरकुलर रोड के ठोस दक्षिण की तरफ रेलिंग के विस्तार के, जो खंभों 168-172 से अंकित है । साथ-साथ सीमा स्तम्भ ठ-2 तक जो लोअर सरकुलर रोड पर और उसके तथा बेलवीडियर रोड के संगम के पूर्व की ओर है; वहां से उस कोने के प्राकृतिक मोड़ों से, जो खंभों 173-174 से अंकित है, होते हुए बेलवीडियर रोड के पूर्व की तरफ सीमा स्तम्भ ड-2 तक; वहां से बेलवीडियर रोड की पूर्वी तरफ के साथ-साथ, जो इस समय लकड़ी की रेलिंग के रूप में दिखाई गई है और खंभे 175 से अंकित है, सीमा स्तम्भ ढ-2 तक, जो जीरत पुल के उत्तर-पूर्व की तरफ है, वहां से पुल की पूर्वी तरफ पगडंडी की रेलिंग के साथ-साथ सीमा स्तम्भ ण-2 तक, जो उसके दक्षिण-पूर्वी सिरे पर है ; वहां से टेढ़ी रेखा में पुल की आकृति के साथ-साथ, जो खंभों 176-177 से अंकित है, खंभे 178 तक जो पुल के निकटतम पहुंच मार्ग के दक्षिणी सिरे की पूर्वी तरफ स्थित है वहां से सीधी रेखा में, उक्त सिरे के पश्चिम की तरफ सीमा स्तम्भ त-2 तक; वहां से पुल की पश्चिमी तरफ की पगडंडी की रैलिंग के साथ-साथ उत्तर की ओर मुड़कर वहां तक जब तक कि वह पुल के नीचे की जल-रेखा से नहीं मिल जाती ; वहां से टोली नाले के दक्षिणी या अलीपुर किनारे की जल-रेखा के साथ-साथ हेस्टिंग्स पुल के नीचे उत्तर की ओर बढ़ते हुए उस बिन्दु तक, जहां (हेस्टिंग्स पुल के दक्षिण-पश्चिमी सिरे के निकट) निर्देश स्तम्भ 5 और (बंगाल नागपुर रेलवे गुड्स यार्ड की उत्तरी दीवार के साथ-साथ एक रेखा में नदी की हावड़ा वाली तरफ) निर्देश स्तम्भ 6 को मिलाने वाली सीधी रेखा हुगली नदी के मोड़ के, दक्षिणी किनारे की जल-रेखा से, टोली नाले के मुहाने के पश्चिमी तरफ के निकट, मिलती है; वहां से उक्त सीधी रेखा के साथ-साथ वहां तक जब तक कि वह सीधी रेखा हुगली नदी की हावड़ा वाली तरफ की जल-रेखा से मिल नहीं जाती ।

पश्चिमी—अन्तिम परिनिर्धारित बिन्दु से प्रारम्भ होकर, हुगली नदी की हावड़ा वाली तरफ की जल-रेखा के साथ-साथ उत्तरी सीमा के पश्चिमी सिरे तक जाने वाली रेखा ।

2. (क) जब-जब इस अनुसूची में "जल-रेखा" शब्द का प्रयोग हुआ है तब-तब सभी पक्के घाट और किनारे से स्थायी रूप से बद्ध अन्य वस्तुएं, जो जल के सम्पर्क में हों, उस क्षेत्र से संबंधित समझी जाएंगी जिसका सम्बन्ध उस किनारे की भूमि से है, और ऐसी वस्तुओं के सम्पर्क में आने वाले जल के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका सम्बन्ध सीमा की दूसरी तरफ से है । अनुसूची में की उन जगहों में, जहां सीमा का इस प्रकार वर्णन हुआ है, सीमा रेखा जल का घटता-बढ़ता हुआ किनारा होगा, भले ही वह किसी समय कहीं पर भी क्यों न हो । किन्तु पुलों की दशा में, वह अवलम्बन खंभा, जो केवल किनारे के सम्पर्क में हो किनारों से स्थायी रूप से बद्ध समझा जाएगा और पुल के आरपार की सीमा रेखा इस प्रकार वर्णित जल-रेखा से ठीक ऊपर समझी जाएगी ।

(ख) "ठोस तरफ" या "ठोस कोना" शब्दों से वह रेखा या स्थल अभिप्रेत है जो ठोस पदार्थों से अंकित हों, जैसे पक्की दीवार या किसी घर के सामने का भाग और इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाली भूमि और पगडंडियां, पार्श्वस्थ मार्ग, सड़क या गली में सम्मिलित होंगी ।

———